कार्यालय–अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

आदेशांकः:वा0क0अधि0 / परिपत्र / / 2023.दिनांकः:अप्रैल 28 ,2023

–::आदेश::–

मुख्यालय द्वारा पूर्व निर्गत परिपत्र सं0–वा0क0अधि0 / 471 / 2012, दिनांक 02.03.2012 एवं परिपत्र सं0–वा0क0अधि0 / परिपत्र / 2013 / 2020,दिनांक 24.12.2020 के अनुक्रम में स्थगन आदेशों के विरूद्ध दायर अपीलों का निस्तारण अधिनियमित व्यवस्था के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर होना अत्यन्त आवश्यक है, जबकि वर्तमान में वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 के अधीन कार्यरत अधिकांश पीठों में सदस्य का पद रिक्त होने के कारण इन अपीलों का निस्तारण समयान्तर्गत / त्वरित नहीं हो पा रहा है।

अतः रिक्त पीठों में स्थगन आदेशों के विरूद्ध लम्बित अपीलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु इन अपीलों का अन्तरण उक्त पीठों के प्रभारी सदस्यों की पीठों को करने हेतु सम्बन्धित सदस्यों द्वारा भविष्य में अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा साथ ही अन्तरित पत्रावलियों की सूचना से मुख्यालय को अवगत कराया जाय।

ह0 / 28.04.2023
(अरविन्द मलिक)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकनःवा0क0अधि0 / परिपत्र / 567 / 2023,तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
2. वरिष्ठ सहायक(विवरण),मुख्यालय को गार्ड फाइल हेतु।
3. वेब अधिकारी,मुख्यालय

आज्ञा से

प्र0 निबन्धक,वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश,लखनऊ